*वित्त विभाग द्वारा
अनौपचारिक रूप से
परामर्शित।

संख्या– प०वि०विविध०– 17/10 ...../प०वि०
बिहार सरकार
पर्यटन विभाग

दिनांक .....

सेवा में,
महालेखाकार, बिहार,
पटना।
द्वारा– वित्त विभाग, बिहार।*

विषय:– मधुबनी जिलान्तर्गत माँ परमेश्वरी स्थान मंदिर, अंधराठाढ़ी, मधुबनी में पर्यटकीय सुविधाओं का विकास हेतु पर्यटन विभाग के वित्तीय वर्ष 2014–15 के संसूचित राज्य योजना उदव्यय से राशि 54,89,000/– (चौवन लाख नवासी हजार रूपये मात्र) की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में प्रथम किस्त के रूप में राशि 5,00,000/– (पाँच लाख रूपये) मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।

आदेश: स्वीकृत ।

2. उपर्युक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :–

क– इस योजना के अन्तर्गत माँ परमेश्वरी स्थान, मंदिर के पास पर्यटकीय सुविधाओं का विकास कार्य किया जायेगा, जिसके अन्तर्गत रेड सैण्ड स्टोन पेविंग, चहारदिवारी, स्टील गेट, स्थल विकास एवं घाट का विकास इत्यादि कार्य किया जायेगा। इस योजना को आगामी 06 माह में पूरा कर लिये जाने की संभावना है। योजना का कार्यकारी एजेंसी, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम होंगे।

योजना का प्राक्कलन वास्तुविद आर्कीप्लस, पटना द्वारा बनाया गया है, एवं मुख्य अभियंता, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम, पटना द्वारा रूपये 54.89 लाख पर तकनीकी अनुमोदन प्राप्त है, जो महाप्रबंधक, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम, पटना के पत्रांक 1295 दिनांक 23.06.2014 द्वारा प्राप्त है।

ख – तद्नुसार मधुबनी जिलान्तर्गत माँ परमेश्वरी स्थान मंदिर, अंधराठाढ़ी, मधुबनी में पर्यटकीय सुविधाओं का विकास हेतु पर्यटन विभाग के वित्तीय वर्ष 2014–15 के संसूचित राज्य योजना उदव्यय से राशि 54,89,000/– (चौवन लाख नवासी हजार रूपये मात्र) की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में प्रथम किस्त के रूप में राशि 5,00,000/– (पाँच लाख रूपये) मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

ग– इस राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2014–15 के संसूचित राज्य योजना उद्व्यय के मुख्य शीर्ष– 5452– पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष– 01– पर्यटक अवसंरचना, लघु शीर्ष– 101– पर्यटक केन्द्र, मांग संख्या– 46, उप शीर्ष– 0104– पर्यटकीय संरचनाओं का विकास एवं विपत्र कोड– पी. 5452011010104, विषय शीर्ष– 2701– लघु निर्माण कार्य में उपबंधित राशि से की जायेगी।

घ– इस राशि की निकासी वित्त विभाग के ज्ञापांक 2561 दिनांक 17.04.98 में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत की जायेगी।

ड.– इस राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जायेगी तथा इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, श्रीमती ममता मीनाक्षी, विशेष कार्य पदाधिकारी, पर्यटन विभाग, पटना होंगे।

3. निकासी की गयी रकम 05.00 लाख (पाँच लाख रूपये) मात्र को योजना के कार्यकारी एजेंसी बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 को योजना के कार्यान्वयन हेतु उनके पी0एल0 एकाउन्ट में हस्तानान्तरित कर दी जायेगी।

4. योजना का कार्यान्वयन बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा किया जायेगा तथा वे योजना के कार्यान्वयन के लिए निर्धारित अपनी कार्य योजना से विभाग को अवगत करायेगें। उनके द्वारा विमुक्त राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र एवं योजना का विडियोग्राफ/फोटोग्राफ के साथ अनिवार्य रूप से प्रत्येक माह वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन पर्यटन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

5. योजना के कार्यान्वयन में बिहार लोक निर्माण संहिता, बिहार लोक कार्य लेख संहिता, बिहार वित्तीय नियमावली एवं बिहार कोषागार संहिता के सुसंगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
6. योजना पूर्ण होने के उपरान्त व्यय की गयी राशि का उपयोगिता/पूर्णता प्रमाण पत्र कार्य एजेन्सी द्वारा पर्यटन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा तथा अगर कोई राशि उनके पास अधिशेष रह जाती है, तो उसे भी पर्यटन विभाग, बिहार सरकार को वापस किया जायेगा।
7. योजना के विभिन्न स्तरों पर कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कार्य एजेंसी द्वारा उसकी गुणवत्ता की जाँच सक्षम प्राधिकार से कराकर उपयोगिता प्रमाण–पत्र एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के साथ पर्यटन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
8. संबंधित वास्तुविद् (अगर उनकी सेवा ली गयी है) से भी कार्य एजेन्सी एक प्रमाण–पत्र प्राप्त कर विभाग को उपलब्ध करायेगें कि "यह कार्य उनकी देखरेख में कराया गया है तथा निर्मित संरचना पूरी तरह स्वीकृत योजना एवं अनुमोदित डिजाईन के अनुरूप है"।
9. आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र और भौतिक प्रगति प्रतिवेदन पर्यटन विभाग को भेजा जायेगा।
10. स्वीकृत्यादेश पर वित्तीय आंतरिक सलाहकार की सहमति संचिका संख्या प0वि0 (विविध) –17/10 के पृ0 64/टि0 पर दिनांक 09.10.2014 को एवं प्रस्ताव पर प्रधान सचिव, पर्यटन विभाग, बिहार की स्वीकृति उक्त संचिका के पृ0 64/टि0 पर दिनांक 09.10.2014 को प्राप्त है।
11. महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र निर्गत करने की आवश्यकता नहीं है।

राज्यपाल, बिहार के आदेश से,
ह०/–

(राम किशोर मिश्र)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक: प0वि0(विविध0) –17/10 /प0वि0 पटना, दिनांक: .2014

प्रतिलिपि, कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–

(राम किशोर मिश्र)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक: प0वि0(विविध0) –17/10 2713 /प0वि0 पटना, दिनांक: 13-10- .2014

प्रतिलिपि, विकास आयुक्त, बिहार/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/प्रबन्ध निदेशक, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम, पटना/जिला पदाधिकारी, मधुबनी/लेखा शाखा, पर्यटन विभाग, बिहार, पटना (दो प्रतियों में) की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(राम किशोर मिश्र)
सरकार के अपर सचिव।

*वित्त विभाग द्वारा अनौपचारिक रूप से परामर्शित।

संख्या– प०वि०विविध०– 17 / 10 ..... / प०वि०
बिहार सरकार
पर्यटन विभाग

दिनांक: .....

सेवा में,
महालेखाकार, बिहार,
पटना।

द्वारा:– वित्त विभाग, बिहार।*

विषय:– मधुबनी जिलान्तर्गत लक्ष्मी गोसाई मंदिर, मधेपुर, मधुबनी का विकास एवं पर्यटकीय सुविधाओं का विकास हेतु पर्यटन विभाग के वित्तीय वर्ष 2014–15 के संसूचित राज्य योजना उदव्यय से राशि 60,05,000/– (साठ लाख पाँच हजार रूपये मात्र) की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में प्रथम किस्त के रूप में राशि 12,01,000/– (बारह लाख एक हजार रूपये) मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।

आदेश: स्वीकृत ।

2. उपर्युक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रदान्त की जाती है :–

क– इस योजना के अन्तर्गत लक्ष्मी गोसाई मंदिर के पास पर्यटकीय सुविधाओं का विकास एवं सौन्दर्यीकरण कार्य किया जायेगा, जिसके अन्तर्गत पर्यटन हॉल, चहारदिवारी एवं गेट, रेड सैण्ड स्टोन पेभिंग, सोलर लाईट इत्यादि कार्य किया जायेगा। इस योजना को आगामी 06 माह में पूरा कर लिये जाने की संभावना है। योजना का कार्यकारी एजेंसी, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम होंगे।

योजना का प्राक्कलन वास्तुविद आर्कीप्लस, पटना द्वारा बनाया गया है, एवं मुख्य अभियंता, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम, पटना द्वारा रूपये 65.05 लाख पर तकनीकी अनुमोदन प्राप्त है, जो महाप्रबंधक, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम, पटना के पत्रांक 1227 दिनांक 05.06.2014 द्वारा प्राप्त है।

ख. – तद्नुसार मधुबनी जिलान्तर्गत लक्ष्मी गोसाई मंदिर, मधेपुर, मधुबनी का विकास एवं पर्यटकीय सुविधाओ का विकास हेतु पर्यटन विभाग के वित्तीय वर्ष 2014–15 के संसूचित राज्य योजना उदव्यय से राशि 60,05,000/– (साठ लाख पाँच हजार रूपये मात्र) की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में प्रथम किस्त के रूप में राशि 12,01,000/– (बारह लाख एक हजार रूपये) मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

ग– इस राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2014–15 के संसूचित राज्य योजना उद्व्यय के मुख्य शीर्ष– 5452– पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष– 01– पर्यटक अवसंरचना, लघु शीर्ष– 101– पर्यटक केन्द्र, मांग संख्या– 46, उप शीर्ष– 0104– पर्यटकीय संरचनाओं का विकास एवं विपत्र कोड– .पी. 5452011010104, विषय शीर्ष– 2701– लघु निर्माण कार्य में उपबंधित राशि से की जायेगी।

घ– इस राशि की निकासी वित्त विभाग के ज्ञापांक 2561 दिनांक 17.04.98 मे वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत की जायेगी।

ड.– इस राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जायेगी तथा इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, श्रीमती ममता मीनाक्षी, विशेष कार्य पदाधिकारी, पर्यटन विभाग, पटना होंगे।

3. निकासी की गयी रकम 12.01 लाख (बारह लाख एक हजार रूपये) मात्र को योजना के कार्यकारी एजेंसी बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लि० को योजना के कार्यान्वयन हेतु उनके पी०एल० एकाउन्ट मे हस्तान्तरित कर दी जायेगी।

4. योजना का कार्यान्वयन बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा किया जायेगा तथा वे योजना के कार्यान्वयन के लिए निर्धारित अपनी कार्य योजना से विभाग को अवगत करायेगें। उनके द्वारा विमुक्त राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र एवं योजना का विडियोग्राफ/फोटोग्राफ के साथ अनिवार्य रूप से प्रत्येक माह वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन पर्यटन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

5. योजना के कार्यान्वयन में बिहार लोक निर्माण संहिता, बिहार लोक कार्य लेख संहिता, बिहार वित्तीय नियमावली एवं बिहार कोषागार संहिता के सुसंगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
6. योजना पूर्ण होने के उपरान्त व्यय की गयी राशि का उपयोगिता/पूर्णता प्रमाण पत्र कार्य एजेन्सी द्वारा पर्यटन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा तथा अगर कोई राशि उनके पास अधिशेष रह जाती है, तो उसे भी पर्यटन विभाग, बिहार सरकार को वापस किया जायेगा।
7. योजना के विभिन्न स्तरों पर कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कार्य एजेंसी द्वारा उसकी गुणवत्ता की जाँच सक्षम प्राधिकार से कराकर उपयोगिता प्रमाण–पत्र एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के साथ पर्यटन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
8. संबंधित वास्तुविद (अगर उनकी सेवा ली गयी है) से भी कार्य एजेन्सी एक प्रमाण–पत्र प्राप्त कर विभाग को उपलब्ध करायेगें कि "यह कार्य उनकी देखरेख में कराया गया है तथा निर्मित संरचना पूरी तरह स्वीकृत योजना एवं अनुमोदित डिज़ाईन के अनुरूप है"।
9. आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र और भौतिक प्रगति प्रतिवेदन पर्यटन विभाग को भेजा जायेगा।
10. स्वीकृत्यादेश पर वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या प0वि0 (विविध) –17/10 के पृ0 62/टि0 पर दिनांक 24.09.2014 को एवं प्रस्ताव पर प्रधान सचिव, पर्यटन विभाग, बिहार की स्वीकृति उक्त संचिका के पृ0 61/टि0 पर दिनांक 18.09.2014 को प्राप्त है।
11. महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र निर्गत करने की आवश्यकता नहीं है।

राज्यपाल, बिहार के आदेश से,
ह०/–

(राम किशोर मिश्र)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक: प0वि0(विविध0) –17/10 /प0वि0 पटना, दिनांक .2014

प्रतिलिपि, कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–

(राम किशोर मिश्र)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक. प0वि0(विविध0) –17/10 2616/प0वि0 पटना, दिनांक 29-9-.2014

प्रतिलिपि, विकास आयुक्त, बिहार/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/प्रबन्ध निदेशक, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम, पटना/ जिला पदाधिकारी, गया/लेखा शाखा, पर्यटन विभाग, बिहार, पटना (दो प्रतियों में) की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(राम किशोर मिश्र)
सरकार के अपर सचिव।

*वित्त विभाग द्वारा
अनौपचारिक रूप से
परामर्शित।

संख्या– प०वि०विविध०– 17/10 ...../प०वि०
बिहार सरकार
पर्यटन विभाग

दिनांक: .....

सेवा में,
महालेखाकार, बिहार,
पटना।
द्वारा:– वित्त विभाग, बिहार।*

विषय:– मधुबनी जिलान्तर्गत सिद्धेश्वर महादेव मंदिर, काको, मधुबनी का विकास एवं पर्यटकीय सुविधाओं का विकास हेतु पर्यटन विभाग के वित्तीय वर्ष 2014–15 के संसूचित राज्य योजना उदव्यय से राशि 61,13,000/– (एकसठ लाख तेरह हजार रूपये मात्र) की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में प्रथम किस्त के रूप में राशि 12,22,600/– (बारह लाख बाईस हजार छः सौ रूपये) मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।

आदेश स्वीकृत ।

2. उपर्युक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :–

क– इस योजना के अन्तर्गत सिद्धेश्वर महादेव मंदिर के पास पर्यटकीय सुविधाओं का विकास एवं सौन्दर्यीकरण कार्य किया जायेगा, जिसके अन्तर्गत घाट, मैरेज हॉल, रेड सैण्ड स्टोन पेभिंग, प्रवेश द्वार, सोलर लाईट इत्यादि कार्य किया जायेगा। इस योजना को आगामी 06 माह में पूरा कर लिये जाने की संभावना है। योजना का कार्यकारी एजेंसी, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम होंगे।

योजना का प्राक्कलन वास्तुविद आर्कीप्लस, पटना द्वारा बनाया गया है, एवं मुख्य अभियंता, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम, पटना द्वारा रूपये 61.13 लाख पर तकनीकी अनुमोदन प्राप्त है, जो महाप्रबंधक, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम, पटना के पत्रांक 1227 दिनांक 05.06.2014 द्वारा प्राप्त है।

ख .– तद्नुसार मधुबनी जिलान्तर्गत सिद्धेश्वर महादेव मंदिर, काको, मधुबनी का विकास एवं पर्यटकीय सुविधाओं का विकास हेतु पर्यटन विभाग के वित्तीय वर्ष 2014–15 के संसूचित राज्य योजना उदव्यय से राशि 61,13,000/– (एकसठ लाख तेरह हजार रूपये मात्र) की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में प्रथम किस्त के रूप में राशि 12,22,600/– (बारह लाख बाईस हजार छः सौ रूपये) मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

ग– इस राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2014–15 के संसूचित राज्य योजना उद्व्यय के मुख्य शीर्ष– 5452– पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष– 01– पर्यटक अवसंरचना, लघु शीर्ष– 101– पर्यटक केन्द्र, मांग संख्या– 46, उप शीर्ष– 0104– पर्यटकीय संरचनाओं का विकास एवं विपत्र कोड– पी. 5452011010104, विषय शीर्ष– 2701– लघु निर्माण कार्य में उपबंधित राशि से की जायेगी।

घ– इस राशि की निकासी वित्त विभाग के ज्ञापांक 2561 दिनांक 17.04.98 में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत की जायेगी।

ड.– इस राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जायेगी तथा इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, श्रीमती ममता मीनाक्षी, विशेष कार्य पदाधिकारी, पर्यटन विभाग, पटना होंगे।

3. निकासी की गयी रकम 12.226 लाख (बारह लाख बाईस हजार छः सौ रूपये) मात्र को योजना के कार्यकारी एजेंसी बिहार राज्य पर्यटन बिकास निगम लि० को योजना के कार्यान्वयन हेतु उनके पी०एल० एकाउन्ट में हस्तानान्तरित कर दी जायेगी।

4. योजना का कार्यान्वयन बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा किया जायेगा तथा वे योजना के कार्यान्वयन के लिए निर्धारित अपनी कार्य योजना से विभाग को अवगत करायेगें। उनके द्वारा विमुक्त राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र एवं योजना का विडियोग्राफ/फोटोग्राफ के साथ अनिवार्य रूप से प्रत्येक माह वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन पर्यटन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

5. योजना के कार्यान्वयन में बिहार लोक निर्माण संहिता, बिहार लोक कार्य लेख संहिता, बिहार वित्तीय नियमावली एवं बिहार कोषागार संहिता के सुसंगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
6. योजना पूर्ण होने के उपरान्त व्यय की गयी राशि का उपयोगिता/पूर्णता प्रमाण पत्र कार्य एजेन्सी द्वारा पर्यटन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा तथा अगर कोई राशि उनके पास अधिशेष रह जाती है, तो उसे भी पर्यटन विभाग, बिहार सरकार को वापस किया जायेगा।
7. योजना के विभिन्न स्तरों पर कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कार्य एजेंसी द्वारा उसकी गुणवत्ता की जाँच सक्षम प्राधिकार से कराकर उपयोगिता प्रमाण–पत्र एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के साथ पर्यटन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
8. संबंधित वास्तुविद् (अगर उनकी सेवा ली गयी है) से भी कार्य एजेन्सी एक प्रमाण–पत्र प्राप्त कर विभाग को उपलब्ध करायेगें कि "यह कार्य उनकी देखरेख में कराया गया है तथा निर्मित संरचना पूरी तरह स्वीकृत योजना एवं अनुमोदित डिजाईन के अनुरूप है"।
9. आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र और भौतिक प्रगति प्रतिवेदन पर्यटन विभाग को भेजा जायेगा।
10. स्वीकृत्यादेश पर वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या प०वि० (विविध) –17/10 के पृ० 62/टि० पर दिनांक 24.09.2014 को एवं प्रस्ताव पर प्रधान सचिव, पर्यटन विभाग, बिहार की स्वीकृति उक्त संचिका के पृ० 61/टि० पर दिनांक 18.09.2014 को प्राप्त है।
11. महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र निर्गत करने की आवश्यकता नहीं है।

राज्यपाल, बिहार के आदेश से,

ह०/–
(राम किशोर मिश्र)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक: प०वि०(विविध०) –17/10 /प०वि० पटना, दिनांक .2014

प्रतिलिपि, कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–
(राम किशोर मिश्र)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक: प०वि०(विविध०) –17/10 2615 /प०वि० पटना, दिनांक 29/9/ .2014

प्रतिलिपि, विकास आयुक्त, बिहार/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/प्रबन्ध निदेशक, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम, पटना/ जिला पदाधिकारी, गया/लेखा शाखा, पर्यटन विभाग, बिहार, पटना (दो प्रतियों में) की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(राम किशोर मिश्र)
सरकार के अपर सचिव।